डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2015-17

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 61 ● अंक 02 ● भोपाल ● 16-30 जून, 2017 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

सहकारी बैंक हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी भी दें

जीएसटी पर सहकारी बैंक अधिकारियों की कार्यशाला में सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने सहकारी बैंक अधिकारियों की कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि बैंक अधिकारियों को चाहिये कि बैंक की योजनाओं, प्रक्रियाओं और उनके फायदों को आम उपभोक्ता तक देने की चिंता करें। अपेक्स बैंक सभागार में जी.एस.टी. पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में प्रमुख सचिव सहकारिता एवं अपेक्स बैंक के प्रशासक श्री अजीत केसरी और एमडी अपेक्स बैंक श्री प्रदीप नीखरा भी उपस्थित थे।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि जीएसटी अगले माह से लागू होगा। बैंक अधिकारी सोसायटी के मेंबर से लेकर जिले के संचालक मण्डल के प्रतिनिधियों, बैंकों और समितियों के कर्मचारियों को भी जीएसटी की अवधारणा के संबंध में जानकारी दें। उन्हें बताया जाये कि जीएसटी वर्तमान में प्रचलित कर प्रणाली से अधिक बेहतर और फायदेमंद है। जीएसटी के दूरगामी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा तुअर और ग्रीष्मकालीन उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने, 8रुपये प्रति किलो प्याज की खरीदी करने, डिफाल्टर किसानों को शून्य प्रतिशत योजना के दायरे में लाने के लिये एकमुश्त समाधान योजना आदि के हाल ही में लिये निर्णय से किसानों को लाभान्वित करायें। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग की कार्यपद्धति से समितियों के सदस्यों, बैंक संचालक और अन्य सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को पूरी तरह से परिचित कराने के लिये विभाग द्वारा जानकारी देने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग के हर निर्णय की जानकारी सबसे पहले सहकारी समिति स्तर पर संवाद कार्यशाला के माध्यम से दी जायेगी।

प्रमुख सचिव सहकारिता श्री केसरी ने अधिकारियों से कहा कि बैंक की शाखायें ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें। यदि कहीं जीएसटी के प्रावधानों को समझने में दिक्कत है, तो विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त करें।

एमडी अपेक्स बैंक श्री नीखरा ने कार्यशाला के आयोजन के संबंध में जानकारी दी। वाणिज्य कर विभाग के श्री सुनील बागड़, श्रीमती रक्षा दुबे और चार्टड एकाउंटेंट श्री अमूल राहंगणेकर ने जीएसटी के तकनीकी और व्यवहारिक पक्षों पर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में प्रदेश के समस्त 38 जिला सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालन/संबंधित अधिकारी सहित अपेक्स बैंक के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

उन्नत कृषि तकनीक अपनाने वाले किसानों को पुरस्कार मिलेंगे

भोपाल। कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) की गतिविधियों के आधार पर कृषक एवं कृषक समूह पुरस्कार दिए जाने हैं। इसके लिये 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वर्ष 2016-17 की कृषि गतिविधियों के आधार पर यह पुरस्कार दिए जायेंगे।

पुरस्कारों के लिये कृषकों व कृषक समूहों का चयन कृषकों द्वारा अपनाई गई कृषि तकनीक, उपज एवं उत्पादकता के आधार इत्यादि मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा। जिले के पाँच विभिन्न इंटरप्राइजेज गतिविधियों में एक-एक कृषक का चयन मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर होगा। जिला स्तर पर चयनित कृषक को 25 हजार रूपए व विकासखण्ड स्तर पर पाँच विभिन्न कृषि गतिविधियों में चयनित कृषकों को 10 -10 हजार रूपए के पुरस्कार दिए जायेंगे। इसके अलावा पाँच विभिन्न गतिविधियो में एक-एक कृषक समूह को 20 हजार रूपए का नगद पुरस्कार दिया जायेगा।

पुरस्कारों के लिये आवेदन पत्र के प्रारूप विकासखण्ड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर तथा जिला स्तर पर परियोजना संचालक, आत्मा समिति के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही यहीं पर भरे हुए आवेदन पत्र जमा किए जा सकेंगे।

खाद्य विभाग द्वारा प्याज खरीदी नियंत्रण कक्ष स्थापित

भोपाल। राज्य सरकार द्वारा 8 रूपये प्रति किलो की दर से किसानों से प्याज की खरीदी किये जाने को लेकर आयुक्त खाद्य, डॉ. पवन कुमार शर्मा ने नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। विंध्याचल भवन, खाद्य आयुक्त कार्यालय में बनाया गया है। राज्य-स्तरीय प्याज नियंत्रण खरीदी कक्ष सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित रहेगा। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 0755-2550490 पर कोई भी किसान प्याज खरीदी में किसी भी प्रकार की आने वाली दिक्कत को बता सकता है। किसान की समस्या का समाधान करने में नियंत्रण कक्ष मदद करेगा। खाद्य आयुक्त द्वारा नियंत्रण कक्ष में संयुक्त संचालक खाद्य सुश्री सुकृति सिंह और श्री शशांक मिश्रा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

प्रदेश में स्वीट कार्न के उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा

भोपाल। प्रदेश में अब किसानों को **स्वीट कार्न** के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये प्रेरित किया जायेगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में वर्ष 2017-18 के अंतर्गत यह स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को स्वीट कार्न फसल के माध्यम से अधिक उत्पादन कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इस योजना में इसमें उज्जैन, नीमच, धार, रतलाम, छिन्दवाड़ा, मंदसौर, इंदौर, खंडवा कटनी जिलों को शामिल किया गया है।

कृषकों को स्वीट कार्न का बीज राष्ट्रीय बीज, निगम, बीज-फार्म विकास निगम एवं कृषि विश्व-विद्यालय के माध्यम से उनकी माँग के अनुसार प्रदाय किया जायेगा। प्रोजेक्ट के तहत स्वीट कार्न बीज के उपर्जान प्रदर्शन समूहों/क्लस्टरों में आयोजित किये जाएंगे। इसके लिये ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा क्षेत्र के 100-150 कृषकों के समूह तैयार कराये जाएंगे। इसके लिए किसानों को 4000/- रुपये प्रति एकड़ हितग्राही के मान से अनुदान सहायता भी प्रदान की जायेगी। किसानों को स्वीट कार्न बीज का एक एकड़ क्षेत्र में प्रदर्शन होगा। जिसके लिए अधिकतम 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के मान से बीज उपलब्ध होगा। सभी श्रेणी के कृषि भूमि स्वामी इस योजना के हितग्राही होंगें।

युद्ध कौशल में प्रवीण जवानों को व्यवसाय की तकनीकी से समाज के लिये तैयार किया जाना राष्ट्र निर्माण जैसा काम - श्री तोमर

सहकारी प्रबन्ध संस्थान में रक्षा मंत्रालय के लिए तीसरे रिटेल मैनेजमेंट कार्यक्रम का उद्घाटन

भोपाल। युध्द कौशल में प्रवीण जवानों को व्यवसाय की तकनीकी जानकारी देकर समाज के लिए तैयार किया जाना राष्ट्र निर्माण जैसे काम हैं। उक्त उदगार सहकारी प्रबन्ध संस्थान समिति के अध्यक्ष श्री अरुण सिह तोमर ने संस्थान में रक्षा मंत्रालय में काम करने वाले जे.सी.ओ/ओ.आर. के लिए रिटेल मैनेजमेंट के तीसरे पत्रोपाधि कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम में व्यक्त किये।

श्री तोमर ने सर्वप्रथम थल सेना और और वायु सेना से जे. सी.ओ/ओ. आर का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि संस्थान के लिए यह गर्व की बात है कि जो जवान देश के सीमा पर देश की सेवा करते रहते हैं उन जवानों की सेवा का अवसर संस्थान को मिला हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में कौशलयुक्त कार्मिकों की बहुत कमी हैं जिसके लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कौशल उन्नयन मंत्रालय बनाया है ताकि देश के विभिन्न औघोगिक और सेवा के क्षेत्रों में कौशलयुक्त कार्मिक की आपूर्ति की जा सके। इस दिशा में संस्थान का यह प्रयास सराहनीय हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि युध्द कौशल में प्रवीण इन जवानों को व्यवसाय की तकनीकी जानकारी देकर समाज के लिए तैयार किया जाना राष्ट्र निर्माण जैसे काम हैं। हाल ही में भूटान रॉयल आर्मी के जवानों का तीन महिने के प्रशिक्षण का जिक्र करते हुए उन्होंनें संस्थान के निदेशक और उनकी पूरी टीम के कार्य को सराहते हुए कहा कि सीमित भौतिक ढांचा और प्रशासनिक अधिकारियें की कमी होने के बावजूद संस्थान उत्तरोतर प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा हैं। उन्होंने जवानो को भरोसा दिलाया कि तीन महिने के भोपाल के प्रवास के दौरान संस्थान उनका पूरी तरह से ध्यान रखेगा।

संस्थान के निदेशक डॉ.ए.के. अस्थाना ने अध्यक्ष महोदय का बुके से स्वागत करते हुए बताया कि आज के समय रिटेल सेक्टर में प्रशिक्षित मानव संसाधन की काफी मांग है। हमारे यह प्रशिक्षार्थी सेना में काम करते हुए अनुशासन, कर्मठता, उत्कृष्ठ कार्य करने की ललक, ईमानदारी, और किसी भी जोखिम का सामना करने के लिए तत्पर रहने जैसे विशेष गुणों के कारण एक उत्कृष्ठ मानव संसाधन हैं। यह मानव संसाधन सेना से निवृति के बाद बेकार न जाए इसलिए इन्हें समय की मांग की अनुसार रिटेल सेक्टर में सेवा करने हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें रिटेल मैनजमेंट,, सप्लाई चैन मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट जैसे आधारभूत विषयों पर प्रशिक्षित किया जाना है। साथ ही भोपाल में स्थित प्रमुख रिटेल स्टोरों पर ले जाकर व्यवहारिक अध्ययन कराया जायगा ताकि प्रशिक्षित सैनिक रिटेल स्टोर में किसी भी तरह की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो। डा. अस्थाना ने कहा कि सही मायने में हमारा संस्थान 'जय जवान जय किसान' के नारे को चरितार्थ कर रहा हैं। संस्थान सहकारी प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की सेवा कर रहा हैं और रिटेल मैनेजमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जवानों की सेवा कर रहा हैं।

इस अवसर पर उपायुक्त, सहकारिता श्री प्रेम व्दिवेदी ने कहा कि मध्यप्रदेश में ऐसे प्रशिक्षित जवानों के लिए को सिक्युरिटी कोआपॅरेटिव संस्था खोलने का अवसर उपलब्ध हैं। कृषि मंथन के श्री सुनील कुमार त्रिपाठी ने संस्थान के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि विगत कुछ वर्षो से संस्थान के प्रशिक्षण कार्यकमों में विविधता आ रही है और संस्थान सहकारिता क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा हैं। कार्यक्रम संचालक श्री अमित मुदगल ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण लेने वाले जे.सी.ओ और ओ.आर को एक साल से छह महिने के बाद सेवा निवृति के पश्चात् रिटेल सेक्टर में रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना हैं। संस्थान पिछले पांच वर्षो से रक्षा मंत्रालय के सहयोग से सैकडो जवानों को रिटेल मैनेजमेंट में काम करने हेतु प्रशिक्षित कर चुका हैं। इनमें से कुछ जवानों ने खुद का स्टोर खोलकर स्वरोजगार भी शुरु कर दिया हैं। 29 मई, 2017 से प्रारंभ होकर 18 अगस्त, 2017 तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कुल 23 प्रशिक्षार्थी है जिसमें से 19 थल सेना, 04 वायु सेना से हैं। कार्यक्रम का विधिवत् उद्घाटन 07 जून, 2017 को हुआ।

रेरा-एक्ट का विस्तार सम्पूर्ण प्रदेश में हुआ-श्री अंटोनी डिसा

भोपाल। रेरा के अध्यक्ष श्री अन्टोनी डिसा ने कहा कि रेरा एक्ट का विस्तार सम्पूर्ण प्रदेश में हुआ है। मध्यप्रदेश, देश में प्रथम राज्य हो गया है जहाँ भू-संपदा एक्ट का विस्तार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में किया गया है।

पहले यह एक्ट केवल 153 प्लानिंग क्षेत्रों में ही लागू था। वहां के आवासीय तथा व्यावसायिक प्रोजेक्ट में ही रेरा प्राधिकरण के समक्ष पंजीयन आवश्यक था। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्राधिकरण ने राज्य के सभी प्रोजेक्ट को एक्ट के दायरे में लाते हुए पंजीयन संबंधी आवश्यकता को गैर प्लानिंग क्षेत्र के लिये भी जारी कर दिया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश में प्लानिंग-एरिया के बाहर के क्षेत्रों में भी आवासीय तथा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों का निर्माण हो रहा था, परन्तु वहां के आवंटियों/ हितग्राहियों को वर्तमान में भू-सम्पदा अधिनियम के संरक्षण का लाभ इस आधार पर नहीं मिल पा रहा था कि वे प्लानिंग-एरिया के बाहर स्थित है। श्री डिसा ने कहा कि प्रदेश के किसी भी नागरिक को केवल इस आधार पर कि वो प्लानिग क्षेत्र में नही रहता है, या उनके द्वारा क्रय किये जाने वाली सम्पत्ति प्लानिंग क्षेत्र के बाहर स्थित है, आधिनियम के संरक्षण से वंछित रखना न्यायेचित प्रतीत नही होता है। अत: प्राधिकरण ने यह विनिश्चय किया है कि भू-सम्पदा अधिनियम का विस्तार मध्यप्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्र में किया जाकर, नॉन प्लानिंग क्षेत्र के प्रोजेक्ट को भी इसके दायरे में लाया जाए। प्रदेश के सभी क्षेत्रों की अपूर्ण तथा नयी परियोजनाओं को अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा तथा ऐसे क्षेत्रों के आवंटियों को भी अधिनियम का संरक्षण प्राप्त होगा।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
प्रवेश प्रारंभ
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

किसानों के हित में दाल की कीमत गिरने नहीं दी जायेगी-मुख्यमंत्री श्री चौहान

प्याज, तुअर, मूंग, उड़द खरीदी व्यवस्थाओं की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां मंत्रालय में कृषि विभाग की भविष्य की कार्य-योजनाओं और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्याज खरीदी की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों से प्याज आठ रुपये प्रति किलो खरीदा जाएगा और पीडीएस की दुकानों में गरीब उपभोक्ताओं के लिये दो रूपये प्रतिकिलो की दर से उपलब्ध होगा। उपभोक्ताओं के लिये खरीदी की सीमा भी तय की जाएगी। उल्लेखनीय है कि एक सार्वजनिक वितरण दुकान में करीब चार सौ उपभोक्ता कवर होते हैं।

तुअर खरीदने के संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रत्येक जिले में तुअर की उपलब्धता का आकलन करें। तुअर, मूंग और उड़द की खरीदी एक ही केंद्र से की जाएगी। अभी तक 80 खरीदी केंद्र बनाये जा चुके हैं। बैठक में बताया गया कि अनुमान के अनुसार 30 जून तक एक से डेढ लाख मीट्रिक टन तुअर खरीदी की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि दाल का आयात नहीं होगा। इससे घरेलू बाजार में दाल की कीमत गिर जाएगी और किसानों को दाम नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर दाल की कीमत गिरने नहीं दी जाएगी ताकि किसानों को उनकी उपज का

पूरा दाम मिल सके। दाल में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जायेगी।

श्री चौहान ने मूल्य स्थिरीकरण कोष तत्काल प्रभाव से स्थापित करने निर्देश दिये। उन्होने कृषि लागत एवं विपणन आयोग का संगठनात्मक ढांचा तैयार कर उसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां करने के भी निर्देश दिये।

श्री चौहान ने कहा कि खरीफ की फसलों के लिये खरीद केन्द्रों का चयन और स्थान निर्धारण पहले से कर लें ताकि समर्थन मूल्य पर खरीदी में थोड़ा भी विलम्ब न हो।

फसल बोने का परामर्श देने बनेगा एप

मुख्यमंत्री ने किसानों के लिये मोबाइल आधारित एसएमएस या परामर्श देने की योजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रत्येक फसल के संबंध में जानकारी होना चाहिये कि कितने क्षेत्र और कितनी मात्रा में फसल बोना चाहिये ताकि बंपर आवक के बावजूद किसानों को उनकी उपज का दाम मिले। ज्यादा उत्पादन के कारण मूल्य की कमी से किसान प्रभावित नहीं हो पाये। इसके लिये उन्होंने किसानों के डाटा बेस पर आधारित एक एप बनाने के निर्देश दिये ताकि किसान स्वयं अपना विवरण आसानी से दर्ज कर सकें। उन्होंने फसलों के संभावित खरीददारों को भी इस एप से जोड़ने पर विचार करने के लिये कहा। श्री चौहान ने इस विषय से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करने और रणनीति बनाने के लिये एक समिति बनाने के भी निर्देश दिये।

डिफाल्टर किसानों के लिये घोषित एक मुश्त सेटलमेंट योजना के संबंध में श्री चौहान ने आगामी सोमवार तक पूरी योजना का प्रारूप प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि डिफाल्टर किसानों को क्रेडिट योजना का लाभ फिर से मिलने लगे।

बैठक में मुख्य सचिव श्री बी पी सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ए.पी.श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक वर्णवाल, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी. सी. मीणा, सहकारिता, मंडी बोर्ड, मार्कफेड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

दुग्ध उत्पादकों को मिल रही है पिछले चार दशक की सर्वाधिक क्रय दर

भोपाल। प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को गुणवत्तापूर्ण दूध की कीमत 36रुपये प्रति लीटर उनके ही गाँव में मिल रही है। स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा सहकारी दुग्ध समितियों और दुग्ध संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से वर्तमान में 600 रुपये प्रति किलो फेट की दर से दूध क्रय किया जा रहा है।

यह प्रदेश के सहकारी डेयरी कार्यक्रम क्रियान्वयन के विगत 40 वर्ष में सर्वाधिक क्रय दर है। प्रबंध संचालक एम.पी स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन डॉ. अरूणा गुप्ता ने भारतीय किसान संघ के आव्हान पर प्रदेश के किसानों द्वारा विभिन्न स्थानों पर दूध के टैंकर और वाहनों को रोक कर सड़कों पर दूध बहाने पर दुःख व्यक्त किया है। डॉ. गुप्ता ने कहा कि यदि किसी दुग्ध उत्पादक को दूध विक्रय करने में असुविधा हो रही है, तो वे निकट की सहकारी दुग्ध समिति, दुग्ध संग्रहण केन्द्र, शीत केन्द्र और दुग्ध संयंत्र में दूध का प्रदाय कर सकते हैं। फेडरेशन का निरंतर प्रयास है कि पशुपालकों को उनके दूध का उचित मूल्य प्राप्त हो।

सहकारिता में कई नवाचार एक साथ

सतना। समितियां अब पीडीएस का राशन, केरोसिन और खाद–बीज बेचने जैसे पुरातन पंथी धंधों तक ही सीमित नहीं रहेगी दरअसल राज्य शासन ने इन समितियों को अधिकाधिक स्वालम्बी बनाने और इनके माध्यम से जन सेवाओं का कई क्षेत्रों में विस्तार किए जाने के लिए कई तरह की नवाचरित योजनाएं संचालित किए जाने का निर्णय लिया है।

उक्त नवाचारों को लागू किए जाने के लिए हाल ही मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल मुख्यालय में जिलों के सहकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। उपायुक्त सहकारी संस्थाएं सतना कार्यालय के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एनएल गर्ग भी उक्त प्रशिक्षण में शामिल हुए थे। प्रशिक्षण से लौटकर श्री गर्ग ने बताया कि सहकारी समितियों को परम्परागत कार्यो के साथ ही विभिन्न नवाचारों के तहत पर्यटन, सड़क, परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सेवाएं दिए जाने के लिए शासन द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उक्त नवाचारों को क्रियान्वित किए जाने का उद्देश्य सहकारी समितियों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक जन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाना शासन का दूरगामी मकसद है।

ट्रेनिंग के लिए क्लस्टर गठित

शासन के निर्देशानुसार प्रावधानित नवाचारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने के प्रथम चरण में जिले में सम्बंधित सहकारी समितियों के अमले को आगामी 6 जून तक प्रशिक्षित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रभारी उपायुक्त एसएम त्रिपाठी द्वारा उक्त प्रशिक्षण के लिए हर ब्लाक के अंतर्गत क्लस्टर स्थापित किए गए है।

ब्लाकवार मास्टर ट्रेनर नियुक्त

सहकारी समितियों के संचालक मंडल और अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किए जाने के लिए क्लस्टर वार मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए है। इसके अलावा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों एनपी शर्मा, अमरपाटन एवं रामनगर, डा. ठाकुर प्रसाद प्रजापाति रामपुर बघेलान, प्रभाकरण प्रकाश, विकासखण्ड नागौद, सुजीत सिंह को मझगवां तथा एनएल गर्ग को विकासखण्ड उचेहरा एवं मैहर का मास्टर ट्रेनर बनाया गया है।

बनेंगी परिवहन समितियां

जानकारी के अनुसार शासन का मानना है कि प्रदेश में सड़क परिवहन निगम बंद होने से निजी क्षेत्रों के बस आपरेटरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बसे चलाने में रूचि नहीं ली जाती जिसके कारण ग्रामीणों को यात्रा करने में पारेशानी उठानी पड़ रही है। लिहाजा उक्त समस्या का समाधान सुनिश्चित किए जाने के लिए प्राथमिक रूप से प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक परिवहन समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। परिवहन सहकारी समितियां यात्री वाहन एवं मालवाहक हेतु गठित की जाएंगी।

लागू होगा जबलपुर पैटर्न

परिवहन सहकारी समितियां हर जिले में जबलपुर महाकौशल ट्रांसपोर्ट सहकारी समिति के पैटर्न पर अपने–अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण यात्री वाहन एवं मालवाहन का संचालन करेंगी। अधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रदेश के अभी तक जबलपुर में महाकौशल ट्रांसपोर्ट सहकारी समिति है जो गामीण क्षेत्रों में यात्रीवाहन एवं मालवाहन की सेवाएं दे रही है। इस समिति के पास 29 बसों के अलावा 3 जीपें, बस स्टेण्ड, स्वयं का कार्यालय एवं विगत का लाभ 28 लाख रूपए है।

मंडियों में अधिसूचित एफएक्यू कृषि जिन्सों का समर्थन मूल्य से कम पर विक्रय नहीं होगा

राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विस्तृत निर्देश जारी

भोपाल। प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का पारदर्शी, उचित और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार मूल्य उपलब्ध करवाने के लिये राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिये हैं। निर्देश के अनुरूप ऐसी अधिसूचित कृषि जिन्स, जिनका केन्द्र शासन के द्वारा समर्थन मूल्य घोषित है और प्रदेश में केन्द्र और राज्य शासन की संस्थाओं के माध्यम से उनकी खरीदी का कार्य मंडी समिति में जारी है, की औसत अच्छी किस्म का विक्रय कृषि उपज मंडी समितियों में समर्थन मूल्य के नीचे सम्पन्न नहीं किया जायेगा।

निर्देशों में कहा गया है कि यदि अधिसूचित कृषि जिन्स का समर्थन मूल्य घोषित है, परन्तु केन्द्र/ राज्य शासन की संस्थाओं के माध्यम से मंडी समिति में समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू नहीं हुई तो कृषि उपज मंडी समितियों में उपविधियों के प्रावधान अनुसार खुले घोष विक्रय में प्राप्त उच्चतम दर पर किसान की सहमति के बाद ही विक्रय सम्पन्न करवाया जायेगा।

मंडियों को जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अगर मंडियों में अधिसूचित कृषि जिन्स के मूल्य, समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर लगातार दो दिन से अधिक अवधि तक प्रचलित रहते हैं, तो मंडी सचिव प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को इसकी सूचना देंगे। साथ ही मंडी समिति में समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि जिन्स के विक्रय की व्यवस्था के लिये संबंधित शासकीय संस्थाओं को अवगत कराने के साथ-साथ व्यक्तिगत सम्पर्क कर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। मंडी सचिवों का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन की समस्त कार्यवाहियों से बोर्ड के आँचलिक कार्यालयों को अवगत करवायेंगे। आँचलिक कार्यालयों के प्रभारी का यह दायित्व होगा कि संबंधित जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर शीघ्र उपार्जन व्यवस्थाएँ करवायें। साथ ही मंडी बोर्ड के मुख्यालय को नियमित रूप से की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत करें। यह प्रक्रिया सतत और नियमित होगी।

अधिसूचित कृषि जिन्स, जिनका समर्थन मूल्य घोषित है और केन्द्र / राज्य शासन की संस्थाओं के माध्यम से मंडी समिति में समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य जारी है, परन्तु यह नॉन एफ.ए.क्यू. (अमानक किस्म) की होने पर, अधिसूचित कृषि जिन्स का सेम्पल (राज्य शासन के द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये जारी निर्देशों के अनुसार) मंडी समितियों में संधारित करते हुए उपविधियों के प्रावधान अनुसार खुले घोष के माध्यम से नीलामी को सम्पन्न कराया जायेगा एवं किसान की सहमति के उपरान्त ही विक्रय को सम्पन्न करवाया जायेगा। मंडी बोर्ड के इन निर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

बी.पी.एल. से लखपति बने एक लाख 34 हजार से अधिक समूह सदस्य

श्रीमती सुशीला बाई ने बी.पी.एल. कार्ड वापस किया जमा

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूह से जुड़े ग्रामीण निर्धन परिवार अब गरीबी से मुक्त होकर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मिशन के माध्यम से आजीविका के एक से अधिक अवसर उपलब्ध होने से निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। प्रदेश में लगभग एक लाख 34 हजार से अधिक परिवार बी.पी.एल. श्रेणी से बाहर निकलकर लखपति की श्रेणी में आ गये हैं। इन्हीं परिवारों में से एक राजगढ़ जिले के ग्राम कचनारिया की श्रीमती सुशीला बाई ने तो अपना बी.पी.एल. कार्ड ग्राम पंचायत कार्यालय में वापस जमा करा दिया है।

आजीविका मिशन द्वारा 3 हजार 113 परिवारों को भवन निर्माण के सेन्टिंग कार्य के लिए प्रशिक्षित कर आर्थिक सहायता दिलाई गई थी। राजगढ़ जिले के ब्यावरा ब्लाक अंतर्गत ग्राम कचनारिया में आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित कैलादेवी स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती सुशीला बाई ने समाज में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। सेन्टिंग एवं कृषि आदि का संयुक्त कार्य करते हुये अपनी सालाना आय को एक लाख 50 हजार रुपये से अधिक होने पर अपना बी.पी.एल. कार्ड जमा कर ए.पी.एल. कार्ड बनवाने का आवेदन ग्राम पंचायत को देकर एक मिसाल पेश की है। श्रीमती सुशीला बाई से जब यह पूछा गया कि आप बी.पी.एल. कार्ड जमा क्यों कर रहीं हो, तो उनका कहना था कि ईश्वर न करे कि उन्हें बी.पी.एल. कार्ड की श्रेणी की सुविधाओं पर आश्रित रहना पड़े और इस सुविधा का लाभ किसी अन्य वास्तविक गरीब को मिल सकें।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में श्रीमती सुशीला बाई की तरह आत्मनिर्भर होकर सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण की दम पर गरीबी से मुक्ति के कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। आजीविका मिशन द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ आत्मविश्वास तथा निर्णय लेने की क्षमता एवं सामुदायिक विकास की भावना विकसित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश के 33 जिलों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सघन रूप से कार्य कर रहा है। इन जिलों में ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जहाँ एक से अधिक आजीविका गतिविधियाँ अपना कर गरीब परिवार आर्थिक उन्नति कर रहे हैं। वर्तमान में मिशन द्वारा 1 लाख 79 हजार स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 20 लाख 67 हजार परिवार को जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पम्प केन्क्शन योजना में किसानों से आनलाईन आवेदन आमंत्रित

होशंगाबाद। मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड होशंगाबाद ने जिले के किसानो से मुख्यमंत्री स्थायीकृषि पंप कनेक्शन योजना हेतु आनलाईन आवेदन आमंत्रित किए है। कंपनी के महाप्रबंधक श्री जावेद जाफरी ने बताया कि किसानो के स्थायी पम्प कनेक्शन के लिए मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना क्रियाशील है जिससे ग्रामीण क्षेत्र मे सभी कृषक वेबसाईट www.sankalp.mpcz.in पर आनलाईन आवेदन कर सकते है। योजनानुसार आवेदन देने वाले कृषको स्वयं की 2 फोटो तथा आधार कार्ड के साथ संबंधित वितरण केन्द्र मे अपना पंजीयन कराना होगा। आवेदन की प्राप्ति कम्प्यूटर मे एंट्री करके दी जाएगी। कृषको को कनेक्शन की राशि जमा करानी होगी योजना न्यूनतम 3 हार्सपावर या अधिक हार्सपावर के कनेक्शन के लिए लागू होगी।

प्रत्येक पंचायत में पीडीएस दुकान और एक दुकान पर एक विक्रेता व्यवस्था जल्दी

भोपाल। खाद्य मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीडीएस दुकान खोलने और प्रत्येक पीडीएस दुकान पर पृथक-पृथक विक्रेता की व्यवस्था को जल्दी अमल में लाया जायेगा। मंत्री श्री धुर्वे मंत्रालय में विभाग की प्रस्तावित द्वि-वार्षिक कार्य-योजना पर चर्चा कर रहे थे।

मंत्री श्री धुर्वे ने कहा कि कई गाँवों के बीच एक राशन दुकान होने से लोगों को परेशानी होती है। इसको दूर करने के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर पीडीएस दुकान खोली जायेगी। उन्होंने कहा कि एक सेल्समेन जब एक से अधिक दुकान संचालित करता है तो भी उपभोक्ताओं को रोजाना समय पर राशन दुकान नहीं खुलने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अब एक दुकान पर एक विक्रेता रहेगा। एक विक्रेता को एक से अधिक दुकान नहीं दी जायेंगी। मंत्री श्री धुर्वे ने अधिकारियों से सभी हितग्राहियों के आधार नम्बर सीडिंग कार्य को 30 जून के पहले करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि वह स्वयं सभी जन-प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर हितग्राहियों को आधार सीडिंग करवाने के लिये प्रेरित करने का अनुरोध करेंगे। बैठक में चेयरमेन वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, प्रमुख सचिव खाद्य श्री के.सी. गुप्ता, एमडी नागरिक आपूर्ति निगम श्री फेज अहमद किदवई और खाद्य आयुक्त श्री विवेक पोरवाल मौजूद थे।

ग्लोबल स्किल समिट

पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएँ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की सहभागिता

भोपाल। 'ग्लोबल स्किल एण्ड एम्प्लॉयमेंट समिट' में आज 'पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर' पर महत्वपूर्ण और सार्थक विमर्श हुआ। सत्र की विशेषता यह रही कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अचानक इस सत्र में पहुँचे और आम प्रतिभागी की तरह उन्होंने अपनी सहभागिता की। सत्र में राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री तपन भौमिक, मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह एवं पर्यटन सचिव तथा पर्यटन निगम के एम.डी. श्री हरि रंजन राव सहित आमंत्रित विषय-विशेषज्ञ और प्रतिभागी मौजूद थे।

राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री तपन भौमिक ने सत्र में कहा कि मध्यप्रदेश में पर्यटन के जरिये रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में व्यापक संभावनाएँ हैं। इसी को देखते हुए जल-पर्यटन, होटल प्रबंधन, रेलवे कुली, ऑटो चालक, पर्यटन पुलिस और होम-स्टे योजना में विभिन्न प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में 23 हजार 700 लोगों को पर्यटन में रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से तकरीबन 68फीसदी लोगों को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और शेष को प्रायवेट सेक्टर में रोजगार मिला है। प्रदेश में निवेश-मित्र पर्यटन नीति लागू की गई है। जल-पर्यटन के क्षेत्र में नई शुरुआत की गई है। हनुवंतिया में इस साल जल-महोत्सव 80 दिन का होगा। श्री भौमिक ने आशा व्यक्त की कि इस सत्र के उपयोगी विमर्श से पर्यटन क्षेत्र को विस्तार मिलेगा।

निगम की अपर प्रबंध संचालक सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल ने **मध्यप्रदेश में पर्यटन परिदृश्य** पर प्रेजेंटेशन में बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार में 13 प्रतिशत ग्रोथ की संभावनाएँ हैं। वर्तमान में पर्यटकों और लोगों का ऑनलाइन बुकिंग के प्रति रुचि और रुझान बढ़ा है। प्रदेश में पर्यटन में निवेश की अच्छी संभावनाएँ हैं। उन्होंने प्रेजेंटेशन में होटल, हॉस्पिटेलिटी, रेस्टॉरेंट, टूर एण्ड ट्रेवल और विजन 2020 के लक्ष्य और उन्हें हासिल करने की रणनीति को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खुलने वाले नए नेशनल इंस्टीट्यूट में पर्यटन विषय पर एमबीए का पाठ्यक्रम भी होगा।

महिन्द्रा हॉलिडे एण्ड रिसॉर्ट इंडिया के अध्यक्ष श्री अरुण के. नन्दा ने बताया कि घरेलू पर्यटक प्रायः नजदीकी स्थान पर भ्रमण के लिये जाने के इच्छुक रहते हैं। इसके लिये मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थल सर्वाधिक उपयुक्त हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन में रोजगार की काफी गुंजाइश है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को लेकर भी अच्छी खबरें मिल रही हैं। मध्यप्रदेश की 'अतिथि देवो भवः' की प्राचीन भारतीय परम्परा और यहाँ की तहजीब पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये पर्याप्त है। श्री नन्दा ने आर.पी.एल. के जरिये प्रशिक्षण कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करने की जरूरत बताई।

इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर के उपाध्यक्ष श्री राजीव मेहरा ने कहा कि देश की अर्थ-व्यवस्था में पर्यटन की अहम भूमिका है। पर्यटन के जरिये रोजगार में लगभग 10 फीसदी का योगदान है। उन्होंने कहा कि ट्रेवल टूरिज्म में भी अच्छी संभावनाएँ हैं। श्री मेहरा ने पर्यटन को कठिन परिश्रम वाला क्षेत्र बताते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के लिये आगे आना चाहिए।

होटल एण्ड रेस्टॉरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया के अध्यक्ष श्री सुमित सूरी ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के क्षेत्र में अनुकूल वातावरण होने से अच्छे निवेशक यहाँ जरूर आएँगे। राज्य शासन द्वारा रोजगार के क्षेत्र में अच्छी संभावनाएँ और अवसर विकसित कर दिये गये हैं। जरूरत इस बात की है कि इन अवसरों का सही ढंग से लाभ उठाया जाये। श्री सूरी ने कहा कि अच्छे मेनपॉवर की जरूरत सभी को रहती है और वे 'ऑन जॉब ट्रेनिंग' में हर संभव सहयोग को तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि होटल इंडस्ट्री एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपेक्षाकृत कम पढ़े-लिखे लोगों के लिये भी रोजगार के अवसर हैं।

फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी के कंसल्टेंट सी.ई.ओ. श्री आशीष गुप्ता ने अपने प्रेजेंटेशन में मध्यप्रदेश में पर्यटन की विशिष्ट स्थिति और खूबियों को और अधिक प्रचारित किये जाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में मल्टी स्किल प्रतिभाओं की भी आवश्यकता है। श्री गुप्ता ने पे-टीएम, गूगल ट्रेवल, फेसबुक, एक्सपीडिया आदि साधनों की चर्चा करते हुए इनके उपयोग पर जोर दिया।

पर्यटन सचिव एवं निगम के एमडी श्री हरि रंजन राव ने प्रदेश की पर्यटन की खूबियों की चर्चा करते हुए कहा कि जल-पर्यटन, होम-स्टे और WaySideAmenities आदि क्षेत्रों में नए अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। श्री राव ने कहा कि प्रदेश के बघेलखण्ड विशेषकर सतना के कुक पूरे देश में जाने जाते हैं। वहाँ के कुक देश भर में काम भी कर रहे हैं।

प्रारंभ में श्री राव ने विषय प्रवर्तन किया। निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. पी.पी.सिंह एवं श्री ओ.वी.चौधरी ने अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें टूरिज्म सिग्नेचर स्टॉल भेंट किये। प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागियों के प्रश्नों के समाधानकारी उत्तर दिये गये।

70% अंकुरण क्षमता वाला बीज ही बुवाई के लिये उपयोग करें

खरीफ फसल के लिये कृषकों को सलाह दी गई

उज्जैन। कृषि विभाग एवं आत्मा परियोजना द्वारा खरीफ मौसम की फसल बुवाई के लिये सलाह जारी की गई है। सलाह में बीज व्यवस्था, बीजोपचार, बीज दर तथा खाद एवं उर्वरक के प्रयोग के बारे में बताया गया है। उप संचालक कृषि श्री एसके शर्मा ने बताया कि बीज व्यवस्था के लिये किसान बुवाई के पहले उनके पास उपलब्ध बीज के अंकुरण का परीक्षण कर लें। कम से कम 70 प्रतिशत अंकुरण क्षमता वाला बीज ही बुवाई के लिये उपयोग करें। किसान यदि कहीं और से उन्नत बीज लाते हैं तो उसकी विश्वसनीयता को परख लें और साथ में पक्का बिल लें। किसान अपनी जोत के अनुसार कम से कम दो-तीन किस्मों की बुवाई करें। जिले में सोयाबीन अधिक बोई जाती है अतरू सोयाबीन की अनुशंसित किस्में जेएस 9560, जेएस 9305, नवीन किस्में जेएस 2034, जेएस 2029, आरबीएस 200104 हैं।

बीज उपचार- बीज की बुवाई से पूर्व बीजोपचार करना आवश्यक है। इस हेतु जैविक फफूंदनाशक ट्रायकोडर्मा वारीडी 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या अन्य फफूंदनाशक कार्बोऑक्सीन प्लस थायरम या कार्बन डाईजिम से दो-तीन ग्राम प्रति किलो बीज के मान से उपचारित किया जाये। इसके बाद राइजोबियम एवं पीएसबी कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज के मान से उपयोग करें।

बीज दर - अनुशंसित बीज दर 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई इतने ही बीज का उपयोग करें। एक हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग साढ़े चार लाख पौधे होना चाहिये। कतार से कतार से दूरी कम से कम 14 से 18इंच के आसपास रखी जाये। साथ ही संभव हो तो रेज्डबेड विधि से फसल की बुवाई करें। इस विधि से फसल बुवाई से कम वर्षा एवं अधिक वर्षा दोनों ही स्थिति में फसल को नुकसान नहीं होता है।

बुवाई - किसान फसल बुवाई यदि डबल पेटी सीड कम फर्टिलाईजर सीडड्रिल से करते हैं तो बहुत अच्छा है। इससे उर्वरक एवं बीज अलग-अलग रहता है और उर्वरक बीज के नीचे गिरता है तो लगभग 80 प्रतिशत उपयोग हो जाता है। अधिक जानकारी के लिये अपने-अपने क्षेत्र के वरिष्ठ कृषि अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

सभी के सहयोग प्रदेश को ग्रामीण विकास में अव्वल लाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा सीहोर जिले के अहमदपुर में ग्रामोदय अभियान का समापन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पं. दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी वर्ष में सरकार जनता की मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई-लिखाई और दवाई की समुचित व्यवस्था करने के लिये प्रतिबद्ध है। श्री चौहान सीहोर जिले के ग्राम अहमदपुर में **ग्रामोदय से भारत उदय** अभियान के समापन पर आम सभा को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण और सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह, विधायक श्री सुदेश राय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती संध्या मरेठा, अपर मुख्य सचिव श्री आर.एस. जुलानिया और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश को ग्राम विकास के क्षेत्र में देश में नम्बर एक पर लाने के लिये सभी का सहयोग जरूरी है। सरपंच- पंचों को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्त्तव्यों का भी निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। श्री चौहान ने ग्रामोदय अभियान के समापन पर ग्रामीणों को संकल्प दिलाया कि वे अपने गाँव में साफ-सफाई, वृक्षारोपण जैसे जनहित के कार्यों पर विशेष ध्यान देंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की 22 हजार 805 ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम संसदों में 25 लाख 70 हजार आवेदन व्यक्तिगत मांग तथा 3 लाख 33 हजार आवेदन सामुदायिक कार्य से संबंधित प्राप्त हुए। ग्राम पंचायतवार आवेदनों का परीक्षण किया जा रहा है। एक जून से दस जून तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकारी जाकर ग्रामीणों को उनके आवेदनों पर हुई कार्यवाई का ब्यौरा देंगे। सभी जिलों में प्रभारी मंत्री आवेदनों पर हुई कार्यवाई का 5 जून से औचक निरीक्षण भी करेंगें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में चालू वित्त वर्ष के दौरान 7 लाख पात्र गरीब ग्रामीणों को मकान बनाने के लिये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक कोई भी पात्र व्यक्ति आवासहीन न रहे। मकान बनाने का पैसा सीधे हितग्राही के खाते में जमा किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि विभिन्न आवास योजनाओं में मकान बनाने वाले हितग्राही यदि मकान के परिसर में पाँच फलदार पेड़ लगाते हैं, तो उन्हें पाँच हजार रूपये अतिरिक्त दिये जायेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीण क्षेत्र में चलाये जा रहे विकास कार्यों के संबंध में कहा कि अब छोटे-मोटे कार्यों के लिये ग्राम पंचायतों को अधिकार सम्पन्न कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों को 2 लाख रूपये लागत से नल-जल योजनाएँ सुधरवाने के अधिकार दे दिए गए हैं। सरपंचों को ग्राम सचिवों की सी.आर. लिखने के अधिकार दिये गये हैं। श्री चौहान ने स्पष्ट किया कि जहाँ एक ओर सरकार अच्छा कार्य करने वाले सरपंचों को पुरूस्कार देगी, वहीं सामुदायिक विकास या गरीब व्यक्ति के हित लाभ से जुड़ी योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले पंच-सरपंचों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जायेगी। उन्होंने कहा कि अब अविवादित नामांतरण के अधिकार भी ग्राम पंचायतों को विकेन्द्रित कर दिये गये हैं।

श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में अभी तक प्रदेश के सात हजार ग्राम पंचायतों, 46 जनपद पंचायतों सहित छह जिले ओ.डी.एफ.घोषित किए जा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन में ग्राम पंचायतों की सक्रिय भूमिका और ग्रामवासियों में जागरूकता को देखते हुए पूरे प्रदेश को इस वर्ष गांधी जयंती तक ओ.डी.एफ. करने का लक्ष्य है। इस अवसर पर उन्होंने सीहोर सहित भोपाल, बुरहानपुर, आगर-मालवा, नीमच और खरगोन जिलों को ओ.डी.एफ.घोषित किया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि ग्राम उदय से भारत उदय अभियान 15 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मई को समापन हो रहा है। सभी 52 हजार गांवों में ग्रामसभा और ग्राम संसद के माध्यम से हितग्राहीमूलक योजनाओं, सार्वजनिक कार्यक्रमों का माननीय मुख्यमंत्री समग्र रूप से विचार कर निर्णय करने वाले हैं। **ग्रामोदय से भारत उदय** में आम लोगों और किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिये शहरों के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए उनके ग्राम में जाकर प्रशासन सरकार की योजनाओं और हितग्राही लाभ योजनाओं की सूची में उन्हें जोड़ा जा रहा है। श्री भार्गव ने कहा प्रदेश में रोटी, कपड़ा, मकान की कोई समस्या नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रत्येक गरीब को मकान मिलेंगे। प्रदेश में कोई बिना मकान/जमीन के नहीं रहेगा। श्री भार्गव ने कहा कि ग्रामोदय से भारत उदय अभियान मील का पत्थर साबित होगा। श्री भार्गव ने कहा कि आम जन अपने हितों के प्रति जागरूक रहें, सरकार उनके हित संरक्षण के लिये सदा आगे है।

आभार प्रदर्शन लोक निर्माण और सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि कल रात को तेज बारिश होने से कार्यक्रम के होने में ही संदेह होने लगा था किन्तु मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम को हर हालत में करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान, मंत्रीद्वय श्री गोपाल भार्गव, श्री रामपाल सिंह ने मण्डी परिसर में वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभांवितों को चेक वितरित किए।

प्रारंभ में सीहोर कलेक्टर श्री सुदाम खाडे ने बताया कि अभियान के दौरान सीहोर जिले में 32 हजार 310 आवेदन विभिन्न मांगों के संबंध में प्राप्त हुए थे । इनमें से 20 हजार 606 आवेदन स्वीकृत कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों को उनके द्वारा दिये गये आवेदनों पर की गई कार्रवाई से अवगत कराने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर जानकारी देने की व्यवस्था की गई है।

जी.एस.टी. में प्रदेश के हितों का रखा गया है ख्याल

वित्त मंत्री श्री मलैया जी.एस.टी. सेमीनार में

भोपाल। वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) में प्रदेश के हितों का पूरा-पूरा ख्याल रखा गया है। एक जुलाई से लागू होने वाले जी.एस.टी. के लिये प्रदेश में सभी आवश्यक तैयारियाँ कर ली गई हैं।

उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद आर्थिक क्षेत्र में जी.एस.टी. कानून सबसे बड़ा बदलाव है। श्री मलैया ने कहा कि जी.एस.टी. देश के संघीय ढाँचे का सबसे बेहतर उदाहरण है। वित्त मंत्री श्री मलैया आज भोपाल के रवीन्द्र भवन में जी.एस.टी. पर हुए सेमीनार को संबोधित कर रहे थे। सेमीनार में प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री मनोज श्रीवास्तव, आयुक्त वाणिज्यिक कर श्री राघवेन्द्र सिंह और कर सलाहकार मौजूद थे।

वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि जी.एस.टी. में पिछले 17 वर्ष में लम्बी चर्चा हुई है। अब तक लिये गये निर्णय सर्वसम्मति से ही हुए हैं। जी.एस.टी. काउंसिल में केन्द्र और रा%य सरकार के प्रतिनिधियों ने आम जनता के हितों का ख्याल रखते हुए निर्णय लिये हैं। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. से महँगाई नहीं बढ़ेगी। जी.एस.टी. में कर की दरें तय करते समय वस्तुओं को अलग-अलग वर्गों में बाँटा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जी.एस.टी. से कर व्यवस्था का सरलीकरण होगा और करों में होने वाली चोरी को पूरी तरह से रोका जा सकेगा। प्रमुख सचिव वाणि%यिक कर श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि किसी भी देश की व्यवस्था को वहाँ की कर प्रणाली काफी हद तक प्रभावित करती है। इसके उदाहरण इतिहास में देखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक-देश एक कर व्यवस्था से देश में तरक्की की रफ्तार और तेज होगी।

मध्यप्रदेश में एक दिन में लगेंगे 6 करोड़ से अधिक पेड़

नर्मदा सेवा मिशन की कार्यशाला में मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में 2 जुलाई को एक दिन में 6 करोड़ 67 लाख पेड़ लगाये जायेंगे। यह एक दिन में किसी नदी के तट पर लगाये गये वृक्षों की दुनिया में सबसे बड़ी संख्या होगी। नर्मदा सेवा यात्रा आने वाले समय में पृथ्वी को बचाने का सबसे बड़ा अभियान है। मुख्यमंत्री श्री चौहान यहाँ एप्को भवन में नर्मदा सेवा मिशन कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा के माध्यम से नदी संरक्षण का अदभुत और अभूतपूर्व काम प्रदेश में किया गया है। इसके अध्ययन के लिये दूसरे प्रदेशों से दल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अभियान की सराहना की है। अभियान की कार्य-योजना को क्रियान्वित करने के लिये दो जुलाई को पेड़ लगाये जायेंगे। इस अभियान को जन-अभियान बनाकर इसमें अधिक से अधिक आमजनों को जोड़ें। प्रदेश के हर नागरिक के मन में पेड़ लगाने की भावना जगायें। प्रदेश की अन्य नदियों पर भी इस तरह का अभियान चलाया जायेगा। आगामी पाँच जून से बीस जून तक पेड़ लगाओ यात्राएँ निकाली जायेंगी। यात्राओं के माध्यम से नर्मदा तटों पर पेड़ लगाने के लिये जन-जागरण किया जायेगा। राज्य शासन के मंत्री भी इन यात्राओं में शामिल होंगे। समाजसेवी, संत, पर्यावरणविद और विभिन्न सामाजिक,धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों को भी इस यात्रा में शामिल किया जायेगा। नर्मदा तटों के हर जिलों में पेड़ लगाने के लिये अधिक से अधिक लोगों का पंजीयन किया जाये। नर्मदा सेवा समितियों की बैठक सभी जिलों में की जाये। पेड़ लगाने की विस्तृत और अग्रिम योजना बनायें। पेड़ों की देखभाल के लिये पौध रक्षकों को तैयार करें। नर्मदा तटों पर एक किलोमीटर तक पेड़ लगाने को पहली प्राथमिकता दी जाये। इसके बाद दो किलोमीटर और तीन किलोमीटर तक पेड़ लगाये जायें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा के तटों पर पेड़ लगाने वाले सभी 24 जिलों में से हर एक में कम से कम एक लाख लोगों का पेड़ लगाने के लिये पंजीयन करवाया जाये। लगाये जाने वाले पौधों की ऊँचाई दो फीट से कम नहीं हो। सभी जिलों में पेड़ लगाने का वातावरण बनाने के लिये पेड़ लगाओ यात्राएँ निकाली जाये। यात्रा के दौरान पेड़ लगाने के लिये अधिक से अधिक लोगों से संकल्प पत्र भरवायें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी पेड़ लगाने के लिये संकल्प पत्र भरेंगे। बड़वानी जिले की तरह स्कूली बच्चों को पेड़ लगाने के अभियान से जोड़ने के लिये ग्रीन पासपोर्ट दे सकते हैं। इंदौर जैसे बड़े शहरों की स्वयंसेवी संस्थाओं और लोगों को अभियान से जोड़ा जाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन ने क्रांतिकारी फैसला लिया है कि नर्मदा नदी में रेत का उत्खनन नहीं होगा। नर्मदा की जैव विविधता और जल-प्रवाह को सुरक्षित रखते हुए वैज्ञानिक तरीके से उत्खनन की सलाह देने के लिये एक समिति गठित की गई है। रेत उत्खनन का कार्य युवाओं और मजदूरों के स्व-सहायता समूहों से करवाया जायेगा। रेत के विक्रय में राज्य सरकार का हस्तक्षेप रहेगा। इससे मिलने वाली राशि से रेत खनन में लगे मजदूरों को बोनस दिया जायेगा। इस तरह उनके लिये रोजगार के अवसर बढ़ाये जायेंगे।

कार्यशाला में उपस्थित कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों की कार्य-योजना और तैयारियों के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। वृक्षारोपण का लक्ष्य, पौधों की उपलब्धता और लगाने की तैयारियों की जानकारी दी गई। कार्यशाला में नर्मदा सेवा यात्रा से जुड़े निगम-मंडलों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अनिमेष शुक्ला, संबंधित जिलों के जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वन मंडलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।

नीम के बीज से बने कीटनाशक उपयोगी

सीहोर। नीम के बीज के कीटनाशक किसानों के लिए उपयोगी हैं। किसान स्वयं कीटनाशक तैयार कर सकते है। विधि इस प्रकार है - नीम का बीज अच्छे से सूखा हुआ 5 किलो, पानी साफ-सुथरा 100 लीटर, साबुन 200 ग्राम तथा कपडा छानने के लिए। आवश्यकतानुसार नीम का बीज 5 किलो लें और बारीक पीस लें। इसे दुगुने पानी 10 लीटर में रातभर भिगोकर रखें। अगली सुबह इसे लकडी की छडी से दूधिया सफेद रंग होने तक अच्छी तरह मिला लें। इसे दो परत मसलिन कपडे से अच्छी तरह से छान लें और इस घोल को 100 लीटर का बना लें इस घोल में 1 प्रतिशत साबुन मिला लें साबुन को थोडे से पानी में अच्छी तरह से मिलाकर फिर नीम के घोल में मिलायें । घोल को अच्छी तरह से मिलाकर ही छिडकाव करें।

घरेलू कनेक्शन में बीपीएल आवेदकों को प्रतिमाह 20 रु. 25 किस्त में देने की सुविधा

गरीब परिवारों को स्टाम्प ड्यूटी के 501 रुपये एकमुश्त नहीं देना होंगे

उज्जैन। राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले गरीब परिवारों को एक नई सुविधा उपलब्ध करवाई है। अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले गरीब परिवारों को बिजली के घरेलू कनेक्शन के लिये आवेदन के समय स्टाम्प ड्यूटी के 501 रूपये एक मुश्त में नहीं देना होंगे। इस प्रकार गरीब परिवार स्टाम्प ड्यूटी के रूप में एक भी पैसा जमा नहीं करेंगे। यह पैसा उन्हें कनेक्शन मिलने के बाद आने वाले बिलों में प्रतिमाह 20 रूपये 25 किश्त में देने की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।

मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता के वर्तमान प्रावधान के अनुसार सभी आवेदकों (घरेलू बीपीएल सहित) के लिए स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना आवश्यक होता है। राज्य शासन ने 501 रुपये के स्टाम्प शुल्क देने के लिए गरीब उपभोक्ताओं को सुविधा देने कुछ नये प्रावधान किए हैं। इसके अंतर्गत बीपीएल उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन प्रदान करते समय सादे कागज पर अनुबंध हस्ताक्षरित कर घरेलू कनेक्शन दिए जाने के बाद स्टाम्प शुल्क की राशि 25 समान किश्त में मासिक बिजली बिल के साथ देना होगी। इसका आशय है कि यह राशि प्रतिमाह 20 रूपये बिजली बिल के साथ 25 माह तक देना होगी।

राज्य शासन ने निर्देश दिए है कि कंपनी बीपीएल उपभोक्ताओं की एक सूची तैयार करेगी और राज्य की ट्रेजरी में स्टाम्प शुल्क की एक मुश्त राशि सूची के अनुसार जमा करवाते हुए हस्ताक्षरित अनुबंध पर ई-स्टाम्पिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। इस व्यवस्था से गरीब उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने में एक साथ 501 रूपये देने की अनिवार्यता समाप्त होगी और उन्हें आसानी से बिजली कनेक्शन मिल जायेंगे।

पेंशन योजनाओं के लिये मोबाइल-एप

भोपाल। पेंशन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, योजनाओं व पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी को अधिक सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु एन.आई.सी. म.प्र.द्वारा राज्य स्तर पर ''एम. पेंशन मित्र''मोबाइल एप बनाया गया है।

यूजर के पास एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्ट फोन होना आवश्यक है। मोबाइल फोन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी होना आवश्यक है। ''एम.पेंशन मित्र'' मोबाइल एप को पेंशन पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है या गूगल प्ले. स्टोर से एम-पेंशन मित्र टाईप कर एप को सर्च कर डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड करने के उपरांत एपीके पर क्लिक कर इंस्टाल करना होगा। इंस्टाल होने के उपरांत आईकॉन दिखाई देगा। आईकॉन पर क्लिक कर ''एम. पेंशन मित्र'' मोबाइल एप पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। पेंशन हितग्राही/सामान्य जन (9 अंकों की समग्र आईडी की सहायता से) पेंशन हितग्राही/ सामान्यजन को समग्र आईडी की सहायता से अपनी प्रोफाइल सेट करना होगा। प्रोफाइल सेट होने के उपरांत व्यक्ति पात्रतानुसार पेंशन योजनाओं की पात्रता को जान सकता है। पेंशन योजनाओं की जानकारी व पात्रता की शर्तें पात्रतानुसार पेंशन योजना हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन उपरांत स्टेट्स जान सकता है। लाभांवित हितग्राही स्वीकृति आदेश को देख सकते है। लाभांवित हितग्राही की विगत 12 माह की पेंशन पासबुक की जानकारी को भी देखा जा सकता है।

स्वरोजगार योजनाओ मे आवेदन आमंत्रित

श्योपुर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना अतंर्गत मप्र आदिवासी वित्त एवं विकास निगम शाखा श्योपुर को वर्ष 2017-18 के लिये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 03, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 100 एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत 70 का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, आदिवासी वर्ग के जो भी इच्छुक व्यक्ति उक्त योजना अतंर्गत ॠण प्राप्त करना चाहते है। वह अपने आवेदन आदिम जाति कल्याण विभाग कार्यालय मे प्रस्तुत कर सकते है।

योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक मप्र का मूल निवासी होना चाहिए, युवा उद्यमी के लिए, न्यूनतम योग्यता कक्षा 10 तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए कक्षा 5 निर्धारित की गई है। युवा उद्यमी योजना मे 10 लाख से 1 करोड रूपये तक ॠण प्राप्त किया जा सकता है इस पर 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रूपये अनुदान प्राप्त कर सकते है। स्वरोजगार योजना मे 30 प्रतिशत तक एवं अधिकतम 2 लाख रूपये तक की छूट प्राप्त होती है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मे 20 से 50 हजार रूपये की ॠण राशि प्रदाय की जाती है तथा 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रूपये की राशि का अनुदान देय होता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय मे आदिम जाति कल्याण विभाग अतंर्गत संचालित आदिवासी वित्त विकास निगम मे सपंर्क किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ में आई.टी. प्रशिक्षण

प्रदेश के सहकारिता विभाग के जिलों में पदस्थ आई.टी. से संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण श्री संजय मोहन भटनागर, उपायुक्त, श्री प्रवीण (प्रोग्रामर) तथा राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने दिया। प्रशिक्षण समन्वयक व्याख्याताद्वय श्री ए.के. जोशी तथा श्रीमती रेखा पिप्पल थीं।

5 जून को जबलपुर एवं सागर संभाग के जिलों में पदस्थ सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन।

6 जून को इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के जिलों में पदस्थ सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हुए श्री संजय मोहन भटनागर, उपायुक्त।

8 जून को भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग के जिलों में पदस्थ सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हुए उपायुक्तद्वय श्री संजय मोहन भटनागर एवं श्री प्रेम द्विवेदी।

12 जून को रीवा एवं शहडोल संभाग के जिलों में पदस्थ सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हुए श्री संजय मोहन भटनागर।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।